पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1933 (श०) / 15 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—04

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	02
(2) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	01
(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	01
		कुल योग	04

दवा का छिड़काव

39. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निगमों के प्रत्येक वार्डों में आठ दिन पर फोगिंग मशीन द्वारा मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव कार्य किया जाता है जो छः माह से छिड़काव बन्द है;

(2) क्या यह बात सही है कि दवा छिड़काव नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है एवं मलेरिया, फलेरिया सहित कई बीमारी में वृद्धि हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

40. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर में पेय जलापूर्ति की व्यवस्था करने हेतु पटना वाटर बोर्ड गठित है, परन्तु विगत दस वर्षों से पटना वाटर बोर्ड को कोई राशि सरकार द्वारा नहीं दिये जाने के कारण न नया बोरिंग किया जा रहा है और नहीं पुराने बोरिंग एवं पाईप लाईन का मेंटिनेंस किया जा रहा है, यदि हां, तो दस वर्षों से पटना वाटर बोर्ड को राशि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

गैस एजेंसियों पर नियंत्रण

41. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 फरवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''गैस एजेंसियों की मनमानी उपभोक्ताओं की जुबानी'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिना गैस चुल्हा लिए गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, एक सिलिण्डर, पाईप, रेगुलेटर का निर्धारित दाम 1500 रुपये के बदले 4600 सौ रुपया लिया जा रहा है, डबल सिलिण्डर दो साल पर दिया जा रहा है, गैस 21 दिन बाद देने के बदले 2 माह पर दिया जा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गैस एजेंसियों पर नियंत्रण हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन एवं आवास उपलब्ध कराना

42. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 21,75,772 महादलित परिवारों में से वास रहित 19,54,826 महादलित परिवार हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वास रहित महादलित परिवारों में से 2,20,946 परिवारों के पास वासगीत जमीन नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वास रहित 19,54,826 परिवारों में से मात्र 85,742 परिवारों को वास एवं जमीन उपलब्ध करायी गयी है और शेष 18,69,084 परिवारों के पास अभीतक न तो वास है न ही वास की जमीन है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त वास रहित परिवारों को वासगीत जमीन एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 147--डी०टी०पी०--450--